भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2675
बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक)

राजस्थान के युवाओं में बेरोजगारी

2675. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों में राजस्थान के युवाओं में बेरोजगारी की दर क्या है;
(ख) क्या कोविड-19 ने राजस्थान के युवाओं के रोजगार के अवसर को बाधित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) गत पांच वर्षों में राजस्थान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नियोजित किए गए युवाओं के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;
(ङ) राजस्थान में वर्तमान में बेरोजगार युवाओं की शैक्षणिक अर्हता के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा युवाओं में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। वार्षिक पीएलएफएस आंकड़ा 2019-20 तक उपलब्ध है। वार्षिक पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, राजस्थान राज्य में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार थीः

पीएलएफएस (वर्ष)	डब्ल्यूपीआर	यूआर
2017-18	32.9	14.3
2018-19	32.8	16.6
2019-20	37.9	13.1

वार्षिक पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, राजस्थान राज्य में वर्ष 2019-20 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों की विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर सामान्य स्थिति आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार थीः

सामान्य शिक्षा स्तर	बेरोजगारी दर (% में)
प्राथमिक तक	2.2
मिडिल	2.5
माध्यमिक	3.0
उच्च माध्यमिक	5.4
डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	14.1
स्नातक	22.8
स्नातोत्तर और उससे अधिक	16.9

कोविड-19 महामारी ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है। सरकार ने महामारी से उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड़ पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनकी रोजगार तथा स्व-रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगी।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है

*****